

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 07/2019 (राजस्व अपील)

RCMS No. 2019/00017

### अनवान

1. श्रीमती सीताबाई पत्नि पुनमचन्द पण्ड्या निवासी झाड़ोल, तह. झाड़ोल, जिला उदयपुर।

– अपीलान्त

### बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये पटवारी हल्का झाड़ोल, जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट्स

### उपस्थित

1. श्री लोकेश गहलोत, अधिवक्ता अपीलान्त।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

**अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956**

**अपील विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल, प्र.स. 07/2019 दिनांक 24.07.2019**

### \* निर्णय \*

दिनांक– 20-12-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्त ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 24.07.2019 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा झाड़ोल, तहसील झाड़ोल की आराजी संख्या 32 रकबा 0.1400 हेक्टेयर एवं 3778/33 रकबा 0.0600 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है, जिसे आवासीय रूपान्तरित कराने का आवेदन अपीलान्त द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 17.10.2012 को भूमि आवासीय रूपान्तरित कर रूपान्तरण आदेश अपीलान्त के पक्ष मे जारी किये गये। उक्त रूपान्तरित आदेश के तहत अपीलान्त को 5 वर्ष के भीतर निर्माण कार्य किया जाना आवश्यक था। अपीलान्त उक्त भूमि का आवासीय उपयोग करने हेतु तत्पर था, किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 उदयपुर-झाड़ोल-सोम से गुजरात के संबंध मे गजट का दिनांक 28.12.2016 को स्थानीय समाचार पत्रो मे प्रकाशन हो जाने से अपीलान्त की भूमि भी अवाप्ति से प्रभावित हो रही थी तथा अवाप्ति अधिकारी एवं उनके अधिनस्थ मौके पर नपति एवं सर्वे कर चुके थे। इस प्रकार अपीलान्त रूपान्तरण आदेश की पालना मे आवासीय निर्माण मौके पर नहीं करा पाया। अपीलान्त ने मौके पर मवेशी घर एवं वाउण्ड्रीवाल आदि बनाकर छोड़ दिया, क्योंकि भूमि अवाप्ति मे आने से निर्माण स्वीकृति ग्राम पंचायत ने देने से इंकार कर दिया था। सन् 2017 मे अवाप्ति का अंतिम आदेश आ चुका था एवं अपीलान्त की भूमि का मुआवजा आबादी के अनुसार तय किया जा चुका था, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपीलान्त की भूमि की किस्म बदलने की सूचना फरवरी 2019 मे तहसीलदार के समक्ष कर दी एवं तहसीलदार झाड़ोल द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाये

पर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट दिनांक 22.02.2019 में मौके पर कोई निर्माण मौजूद न होना अवगत कराया, जबकि मौके पर पहले से रोड़ बन चुकी थी। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा उक्त रूपान्तरण आदेश इस आशय से निरस्त कर दिया कि अपीलान्त ने मात्र अधिक मुआवजा प्राप्त करने से लिये भूमि को रूपान्तरित करवाया है, जबकि अपीलान्त को कभी भी अवाप्ति की जानकारी नहीं रही है। यदि अवाप्ति की जानकारी अपीलान्त को होती तो स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी तहसीलदार को भी होती एवं वे इसका आवासीय रूपान्तरण नहीं करते। इस प्रकार उक्त आवासीय रूपान्तरण निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2019 को निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षीय को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई एवं प्रकरण में पृथक से जवाब पेश न कर सीधे बहस हेतु अनुरोध किया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार झाड़ोल द्वारा प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 07/2019 प्राप्त होने पर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्त अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार झाड़ोल द्वारा पारित आदेश को विधि विरुद्ध बताया एवं अपीलान्त द्वारा कराया गया रूपान्तरण अवाप्ति की अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व को होना अवगत कराया। अपीलान्त अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि मामले में रूपान्तरण दिनांक 17.10.2012 के उपरान्त 5 वर्षों में संपरिवर्तन शर्तों की पालना करना अनिवार्य था, किन्तु अवाप्ति की अधिसूचना 28.12.2016 को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाने से उसके द्वारा आवासीय संपरिवर्तन शर्तों की पालना नहीं की जा सकी। तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय में मात्र अधिक मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से भूमि का रूपान्तरण कराया जाने का उल्लेख किया है, जो त्रुटिपूर्ण है। गजट प्रकाशन से पूर्व के समस्त रूपान्तरण सही है एवं अवाप्ति की अधिसूचना व अवार्ड जारी होने के उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय आराजीयात की किस्म को पश्चात्पूर्ती आदेश से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। बिना अर्बीट्रेशन के भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं की जा सकती है। अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे। अपीलान्त अधिवक्ता द्वारा अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 18.02.2014, 22.12.2016, की प्रति प्रस्तुत की।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58ई में अवाप्ताधीन किस्म आबादी की भूमि के संपरिवर्तन की दिनांक, संपरिवर्तन शर्तों की पालना की गई अथवा नहीं एवं उसके उपयोग की स्थिति के संबंध में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। मामले में पटवारी हल्का झाड़ोल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अवगत कराया कि मौजा झाड़ोल की आराजी संख्या 32 रकबा 0.1400 हेक्टेयर किस्म आबादी एवं 3778/33 रकबा 0.0600

हेक्टेयर किस्म आबादी का तहसीलदार झाड़ोल के आदेश क्रमांक 61 दिनांक 17.10.2012 से राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम 2007 के तहत आवासीय रूपान्तरण किया गया है, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में दिनांक 21.11.2012 को अमल दरामद हुआ एवं मौके पर वर्तमान में कोई आवासीय निर्माण नहीं है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.11.2011 की प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उक्त दिनांक को ही रा.रा. 58 की अधिसूचना जारी हो चुकी थी एवं उक्त भूमि के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से पत्र क्रमांक भाराराप्रा/उदय/पकाई/झाड़ोल/2050 दिनांक 17.08.2012 से जारी ड्राफ्ट पब्लिकेशन प्राप्त होने के बाद रूपान्तरित होने से अनुज्ञा निरस्त होने योग्य होने एवं खातेदार द्वारा मात्र आवासीय की दर से मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से भूमि का रूपान्तरण करने जाने, रूपान्तरण शर्तों की पालना न होने से जारी अनुज्ञा प्रत्याहुत होने योग्य होने से सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल को पत्र क्रमांक 563 दिनांक 13.03.2019 से उक्त भूमि का मुआवजा आबादी के स्थान पर कृषि भूमि की दर से दिये जाने हेतु निवेदन किया गया एवं अपीलान्त को राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम 2007 के नियम 14 के तहत नोटिस जारी किया जाकर अपना जवाब पेश करने का अवसर दिया गया। अपीलान्त द्वारा अपने जवाब में रूपान्तरित भूमि नेशनल हाईवे की अवाप्ति में जाने के मध्यनजर निर्माण कार्य नहीं कराया जाना अवगत कराया। नेशनल हाईवे के संबंध में ड्राफ्ट पब्लिकेशन दिनांक 17.08.2012 जारी होने के उपरान्त उक्त भूमि का रूपान्तरण कराया जाने का मुख्य उद्देश्य मात्र कृषि भूमि के दर के बजाय आवासीय की दर से मुआवजा प्राप्त करना पाया जाने एवं रूपान्तरण तिथि 17.10.2012 से 5वर्षों में दिनांक 17.10.2017 तक रूपान्तरण शर्तों की पालना न करने से रूपान्तरण हेतु जारी अनुज्ञा प्रत्याहुत योग्य पाये जाने से रूपान्तरित भूमि की रूपान्तरण से पूर्व की किस्म दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं। इस प्रकार तहसीलदार झाड़ोल द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधिनुकुल होने से यथावत रखे जाने योग्य हैं।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उनमें वर्णित तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण राजस्व ग्राम झाड़ोल की आराजी संख्या 32 रकबा 0.1400 हेक्टेयर किस्म आबादी एवं 3778/33 रकबा 0.0600 हेक्टेयर किस्म आबादी से सम्बन्धित है, जिसका राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम 2007 के नियम 9(3)(4) के तहत तहसीलदार झाड़ोल के आदेश क्रमांक 61 दिनांक 17.10.2012 से आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया है एवं जरिये नामान्तरकरण संख्या 1440 दिनांक 21.11.2012 से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हुआ है। खातेदार द्वारा 05 वर्ष की अवधि में किसी प्रकार का आवासीय निर्माण नहीं करने से नियमानुसार अपीलान्त को नोटिस जारी कर जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिया एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से पत्र क्रमांक भाराराप्रा/उदय/पकाई/झाड़ोल/2050 दिनांक

17.08.2012 से जारी ड्राफ्ट पब्लिकेशन उपरान्त रूपान्तरण होने से अनुज्ञा निरस्त योग्य होना पाया जाने एवं खातेदार द्वारा मात्र आवासीय की दर से मुआवजा प्राप्त करने हेतु रूपान्तरण कराने के आधार पर तहसीलदार द्वारा अनुज्ञा प्रत्याहुत कर दिनांक 24.07.2019 को भूमि की किस्म रूपान्तरण से पूर्व की दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं। अपीलान्ट का कथन है कि रूपान्तरण आदेश के 05 वर्ष के भीतर अवाप्ति की अधिसूचना प्रकाशित हो जाने से वह रूपान्तरण शर्तों की पालना नहीं कर सका एवं तहसीलदार द्वारा किया गया रूपान्तरण अवाप्ति की अधिसूचना से पूर्व किया गया है। मामले में पत्रावली का गहनतापूर्वक अध्ययन करने पर स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा उक्त आवासीय संपरिवर्तन दिनांक 17.10.2012 को इण्डियन रोड कॉंग्रेस के प्रावधानों के विपरित सड़क सीमा से निर्धारित दूरी को छोड़े बिना किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करने से पूर्व तहसीलदार झाड़ोल द्वारा इण्डियन रोड कॉंग्रेस में वर्णित प्रावधान की अक्षरशः पालना की जाती एवं घोषित/प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58-ई से निर्धारित दूरी छोड़कर रूपान्तरण किया जाता तो स्पष्ट रूप से नियमानुसार संपरिवर्तित भूमि अवाप्ति में नहीं आती। तहसीलदार द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश में इण्डियन रोड कॉंग्रेस के प्रावधानों की पालना करते हुए रूपान्तरण आदेश जारी करना नहीं पाया जाता है। अपीलान्ट अधिवक्ता का यह कथन है कि नियमानुसार 3-ए प्रकाशन उपरान्त भूमि की किस्म में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, किन्तु मामले में यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58-ई की घोषणा रूपान्तरण के पूर्व ही हो चुकी थी। मामले में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना जिसका भारत के राजपत्र में 14.11.2011 को प्रकाशन हुआ है का गंभीरता पूर्वक अवलोकन करने पर यह तथ्य भी दृष्टिगोचर होता है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 14.11.2011 के कॉलम संख्या 2 में रा.रा. 58 का विस्तार एवं कॉलम संख्या 3 में सेक्शन स्पष्ट रूप से उल्लेखित है अर्थात् दिनांक 14.11.2011 को रा.रा. 58 के विस्तार की अधिसूचना जारी हो चुकी थी एवं उक्त तिथि को रा.रा. 58 अवस्थित था एवं परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उदयपुर के पत्र क्रमांक भाराराप्रा/उदय/पकाई /झाड़ोल/2050 दिनांक 17.08.2012 द्वारा प्रस्ताव तहसीलदार झाड़ोल को प्रेषित किये जा चुके थे एवं रूपान्तरण उक्त तिथि के उपरान्त किया गया है। राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम 2007 के नियम 4 में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किस प्रकार की भूमियों का संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तहसीलदार का दायित्व था कि उक्त अधिसूचना के परिपेक्ष्य में रूपान्तरण आदेश नियमानुसार जारी किये जाते, किन्तु तहसीलदार द्वारा अधिसूचना दिनांक 14.11.2011 का अवलोकन किये बिना नियमों से परे जाकर रूपान्तरण करते समय रूपान्तरण नियमों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जाना पाया जाता है। अपीलान्ट द्वारा उक्त रूपान्तरण मात्र अधिक मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से कराया जाना स्पष्ट जाहिर है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार झाड़ोल द्वारा जारी आवासीय रूपान्तरण आदेश ही प्रथम दृष्ट्या निरस्त योग्य होने से तहसीलदार द्वारा पुनरावलोकन से रूपान्तरण आदेश उचित रूप से निरस्त किया है। इसके अतिरिक्त मामले में अपीलान्ट द्वारा वर्णित भूमि अवाप्ति के मुआवजे से संबंधित बिंदु

पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर जिला कलक्टर (आर्बीट्रेशन) को हैं, जिस पर इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हैं। इस प्रकार तहसीलदार झाड़ोल द्वारा जारी आवासीय रूपान्तरण निरस्तीकरण के आदेश दिनांक 24.07.2019 में किसी प्रकार की त्रुटि होना परिलक्षित न होने से तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2019 की पुष्टि की जाती है।

अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2019 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
उदयपुर

